

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
31 <sup>8</sup> / <sub>21</sub>	<p>पत्रावली के माध्यम से पत्रावली के निर्देशों को पत्रावली के माध्यम से किया गया है। पत्रावली के माध्यम से पत्रावली के माध्यम से किया गया है। 3.9.21 को पत्रावली के माध्यम से किया गया है।</p>
3.9.21	<p>पत्रावली पेश हुई   वकील उभयपक्ष उर्फ राजीवामा का अवलोकन किया   वास्ते आदेश दि. 28.9.21 को पेश हो   ✓</p>
28.9.21	<p>पत्रावली वास्ते आदेश हुई   उभयपक्षों द्वारा राजीवामा में स्वीकार किया गया है कि पत्रावली में अब विवादित भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है   रिजल्ट के अपने हिस्से प्राप्त कर लिया है   सुनाविल राजीवामा अपील स्वीकार कर तदनुसार अदालत के निर्णय एवं डिक्ली दि. 2.2.17 निरस्त किये जावे  </p> <p>इसने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीवामा के संबंध में आदेश 23 नियम 3 CPC में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया   वकील राजीवामा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है  </p> <p>अतः आदेश है कि सुनाविल राजीवामा अपील अपीलार्थ स्वीकार कर तदनुसार अदालत के निर्णय एवं डिक्ली दि. 2.2.2017 निरस्त किये जाते हैं   पत्रावली केसल कुमार होकर नम्बर से कम हो   दाखिल दफ्तर हो   ✓</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर